आवश्यक

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2013/5024   दिनांक : 05/2/ 2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री पी0एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज,
बाराबंकी।

विषय : महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में सम्बद्वता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : सम्ब0 418/सत्तर–6–2012–2(335)/2012 दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्री पी0एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज, बाराबंकी को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक शर्त 2011–12 के सम्बद्धता की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 01.07.2012 से डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्वता प्रदान की जाती है –

1. संस्था शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुंसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा स्नातक स्तर पर उक्त विषयों मे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेशों/विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नियमानुसार भरा जायेगा तथा उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करना तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नही किया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बद्वता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।
6. महाविद्यालय केवल शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही विद्यार्थियों से प्राप्त करेंगे।
7. महाविद्यालय प्रवेश के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा इस विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
8. महाविद्यालय स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं करेगा। स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने पर महाविद्यालय की सम्बद्वता समाप्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही के साथ–साथ महाविद्यालय के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
9. महाविद्यालय परिसर को रैगिंग मुक्त रखेंगे।

भवदीय

(एस0के0 शुक्ल) 5.2.2013
कुलसचिव

संलग्नक : यथोपरि

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि :

1. परीक्षा नियन्त्रक।
2. वित्त अधिकारी।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव